न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
01/37/2021	15.04.2021	04.03.2022

बउनवान

1.भंवरसिंह पुत्र श्री छाजूसिंह जाति राजपूत आयु करीब 75 वर्ष निवासी ग्राम वख्तपुरा तहसील व जिला अलवर राज0 ——वादी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अलवर राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार अलवर —— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–
1.श्री अमर चन्द चौधरीः– वकील वादी।
2.पैरोकार सरकारः– प्रतिवादी।

: निर्णय :

वादी ने वाद धारा 88, 89, 188 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 176 रकबा 25 ऐयर, 177 रकबा 23 ऐयर, 178 रकबा 15 ऐयर वाके ग्राम बख्तपुरा तहसील व जिला अलवर मिन वादी को बाजाब्ता सरकार द्वारा दिनांक 17–09–1975 को अलॉट की जाकर मौके पर कब्जा प्रदान किया। तत्पश्चात मिन वादी के नाम अलोटी गैरखातेदारी का इंतकाल संख्या 55 दिनांक 17–03–1976 को स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया। इसके पश्चात उक्त आराजी मिन वादी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई जिसका इंतकाल संख्या–21 दिनांक 31–01–1996 स्वीकृत किया गया, जो इन्द्राज बदस्तूर बंदोवस्त सं.2051 तक चलता रहा। किन्तु इसके पश्चात सं. 2054 से 2058, 2058 से 2061, 2062 से 2065, 2066 से 2069 एवं 2074 से 2077 व ताहाल जमाबंदी में बिना किसी हक व अधिकार के खिलाफ कानून उक्त खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन कर साबिक रिकार्ड सा.देह अलोटी गैरखतोदार दर्ज कर दिया। कानूनन बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश से सेटलमेन्ट कर्मचारियों/अधिकारियो इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों/ अधिकारियो को पूर्व इन्द्राज को ही रिपिट करना चाहिए था। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी के रिकार्ड में जो हाल इन्द्राज किया गया है वह बिना किसी हक व अधिकार के एवं खिलाफ कानून, खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड किया गया है। जबकि मिन वादी का उपरोक्त आराजी पर बतोर खातेदार कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिस स्थिति में मिन वादी उपरोक्त सा.देह. अलौटी गैरखातेदार का इन्द्राज कलमजन करवाने का तथा विवादित आराजी के खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है। उक्त इन्द्राज विधि विरुद्ध स्वीकृत किया गया गया है। उक्त सा.देह अलोटी गैरखातेदार का इन्द्राज मिन वादी के अधिकारो के विरूद्व बातिल बेअसर व नाकाबिल पावंदी है तथा वादी उक्त गलत इन्द्राज को कलमजन करवाकर अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। यदि मिन वादी को आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल कर कब्जा कर लिया तो मिन वादी को भारी ना पूर्ती होने वाली हानि होगी जिसका कोई अंदाजा नही लगाया जा सकेगा और वादी

उपखण्ड अधिकारी

तबाह व बरबाद हो जावेगा। जिसकी क्षति पूर्ती किसी भी प्रकार से नही की सकेगी। मिन वादी ने उक्त हाल गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु दिनांक 25–03–2021 को प्रतिवादीगण निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इंकार करदिया जिस पर मिन वादी ने दिनांक 08/03/2021 को वकील साहब से नोटिस दिलाया लकिन उसके बावजूद भी इन्द्राज दुरूस्त नही किया है। अतः अर्ज है कि वादी के हक में प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न डिक्री सादिर फरमायी जायें : डिक्री इस्तकरारहक एवं दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीगण बिरुद्ध प्रतिवादीगण इस कदर सादिर की जाये कि मिन वादी आराजी हाल खसरा नम्बर 176 रकबा 25 ऐयर, 177 रकबा 23 ऐयर, 178 रकबा 15 ऐयर वाके ग्राम बख्तपुरा तहसील व जिला अलवर राज0 का खातेदार काश्तकार है तथा अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है तथा उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में जो सा.देह, अलॉटी गैरखातेदार दर्ज किया गया है वह मिन वादी के अधिकारों के विरुद्ध बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबंदी है, वादी उक्त इन्द्राज को कलमजन करवा कर अपना नाम बतोर खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है। डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा मश्वरे इसके कि प्रतिवादीगण वादी को उपरोक्त आराजी से जबरन बेदखल कर कब्जा करें तथा ना ही वादी के कब्जे काश्त कुल कार्यकाश्तकारी फसल बोने, काटने लाने व ले जाने में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा ना करें। एवं रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। पतिवादी पैरोकार सरकार ने अपने जवाब मे वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए नियमानुसार आदेश फरमाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण का जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई।

1.आया वादी आराजी खसरा नम्बर हाल 176 रकबा 0.25 है0, 177 रकबा 0.23 है0, 178 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम बख्तपुरा तहसील अलवर का अलॉटी खातेदार है।

–– वादी

2.आया वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 176,177,178 वाके ग्राम बख्तपुरा का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है।

–– वादी

3.दादरसी–

तनकीयात कायम करने के पश्चात वाद में साक्ष्यवादी में पी.डब्लयू.–1 भंवर सिंह के साक्ष्य लिये गये। उभय पक्ष की बहस सुनी। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली कायम की गई तनकीयात का विवेचन निम्न प्रकार है।

<u>तनकी 1–</u>

तनकी नम्बर 1 को सिद्व करने का भार वादी पर है। वादी ने वाद की ताईद में नकल आवंटन आदेश पट्टा दिनांक 17.09.1975 पेश किया। मुताबिक पट्टा दिनांक 17.09.1975 को साबिक खसरा नम्बर 100 मिन रकबा 2.10 बीघा वाके ग्राम बख्तपुरा वादी को आवंटन किया गया। आवंटन का इन्तकाल संख्या 55 दिनांक 17.0.1976 भंवर सिंह पुत्र छाजू सिंह राजपूत सा. देह अलोटी गैर–खातेदार दर्ज होकर स्वीकार हुआ तथा इन्तकाल संख्या 21 भंवर सिंह पुत्र छाजू सिंह राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज होकर दिनांक 31.01.1996 को स्वीकार हुआ। इन्तकाल संख्या 21 का अंकन जमावन्द मिसल हकीयत संवत 2051 से 2070 तक में वादी के नाम खातेदारी का अमल किया गया। इसके पश्चात की जमावन्दी संवत 2054–57 में भंवर सिंह पुत्र छाजू सिंह राजपूत सा. देह खातेदार के स्थान पर अलोटी गैर–खातेदार का अंकन कर दिया गया। इसी प्रकार जमावन्दी संवत 2058–2061,जमावन्दी संवत 2062–2065, जमावन्दी संवत 2066–2069, एवं हाल जमावन्दी में भी अलोटी गैर–खातेदार का अंकन रिपीट होता चला आ रहा है। वादी मिसल हकीयत जमावन्दी संवत 2051–2070 के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी

साबिक खसरा नम्बर 100 मि. के हाल खसरा नम्बर 176 रकबा 0.25 है0, 177 रकबा 0.23 है0, 178 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम बख्तपुरा तहसील अलवर का खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है। तनकी नम्बर 01 वादी के हक में निर्णीत की जाती है।

तनकी नम्बर 02:–

तनकी नम्बर 02 का संबंध तनकी नम्बर 1 से है। तनकी नम्बर 1 वादी के हक में साबित हो चुकी है। तनकी नम्बर 02 भी वादी के हक में निर्णीत की जाती है।

3.दादरसी–

वादी को प्रश्नगत आराजी दिनांक 17.03.1975 को आवंटित हुई है। 1975 को साविक खसरा नम्बर 100 मिन रकबा 2.10 बीघा वाके ग्राम बख्तपुरा वादी को आवंटन किया गया। आवंटन का इन्तकाल संख्या 55 दिनांक 17.0.1976 भंवर सिंह पुत्र छाजू सिंह राजपूत सा. देह अलोटी गैर–खातेदार दर्ज होकर स्वीकार हुआ तथा इन्तकाल संख्या 21 भंवर सिंह पुत्र छाजू सिंह राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज होकर दिनांक 31.01.1996 को स्वीकार हुआ। इन्तकाल संख्या 21 का अंकन जमाबन्दी मिसल हकीयत संवत 2051 से 2070 तक में वादी के नाम खातेदारी का अमल किया गया। इसके पश्चात की जमाबन्दीयों में वादी को खातेदार के स्थान पर पुनः अलोटी गैर खातेदार का अंकन कर दिया उक्त गलत इन्द्राज को कलमजन किया जाकर वादी को वतौर खातेदार दर्ज किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी इस प्रकार डिक्री किया ज़ाता है,कि हाल आराजी खसरा नम्बर हाल 176 रकबा 0.25 है0, 177 रकबा 0.23 है0, 178 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम बख्तपुरा तहसील अलवर में भंवर सिंह पुत्र छाजु सिंह जाति राजपूत सा. देह अलोटी गैर खातेदार को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर भंवर सिंह पुत्र छाजु सिंह जाति राजपूत को खातेदार घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज.)

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 04.03.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज.)

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर